



2026:AHC:170319

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 23993 of 2026

Mukund Tripathi @ Praveen Dev And Another

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Ganesh Mani
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C.

Court No. - 36

HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. Heard Sri Ganesh Mani, learned counsel for the petitioners and Sri P.Tripathi, learned Standing Counsel.

2. Petitioners before this Court are sons of contesting respondent.

3. Contesting respondent has initiated proceedings under Section 7 (1) of Uttar Pradesh Maintenance and Welfare Act, 2007 and the Prescribed Authority vide an order dated 4.12.2024 allowed the petition partly. Relevant part of said order is reproduced hereinafter:

"उपर्युक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत दावा आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 को निर्देशित किया जाता है कि वादिनी को माह की 10 तारीख के पूर्व 2500रु0-2500रु0 प्रतिमाह हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें तथा मकान नम्बर 34 गायत्री नगर सनिगवां थाना चकेरी कानपुर नगर में शान्तिपूर्वक अध्यासन में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाये और न ही वादिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाये। इसके साथ थानाध्यक्ष चकेरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को वादिनी द्वारा मकान में यदि शान्तिपूर्वक अध्यासन में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है एवं वादिनी को प्रतिवादीगण द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो प्रतिवादीगण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जांच कर सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे की वरिष्ठ नागरिक अपनी अर्जित की हुयी सम्पत्ति का शान्तिपूर्वक उपभोग कर सकें तथा अपनी जीवन एवं सम्पत्ति का संरक्षण कर सकें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही

दाखिल दफ्तर हो।"

4. Petitioners thereafter filed an appeal which was dismissed vide an order dated 20.4.2026. Relevant part of said order is reproduced hereinafter:

"मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को तर्कों को सुना गया एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से कहा गया है कि अवर न्यायालय में विचाराधीन वाद में वादिनी द्वारा गुजारा भत्ता नहीं याचित किये बिना गुजारा भत्ता का आदेश विधि विरुद्ध है वादिनी अधिवक्ता है एवं मूल गाँव मुनवर्पा इटावा की सम्पूर्ण खेती व बाग बेंच दिया जिसका समस्त पैसा वादिनी के पास है विपक्षी ए०डब्ल्यू०एल० आयुर्वेदिक कम्पनी से संलग्न है उसने समय समय पर मेम्बर बना कर एक मुश्त बड़ी धनराशि अर्जित की है। उल्लेखनीय है कि-

भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित यथा स्थिति कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पिता आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर अपीलीय अधिकरण को अपील कर सकेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत शुद्ध माता पिता को ही अपील करने के अधिकार प्राप्त है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 में भी उल्लेख किया गया है कि वादिनी द्वारा याचित उपशम के अंतर्गत मकान को खाली कराये जाने का अधिकार अवर न्यायालय के पास नहीं है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है अगर किसी परिवार में सम्पत्ति को लेकर माता पिता और बच्चा के बीच झगडा हो तो ऐसे झगडों का निस्तारण माता पिता या वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील भरण पोषण से सम्बंधित न होकर पारिवारिक विवाद से सम्बंधित है। अवर न्यायालय द्वारा संदर्भित आदेश में अपीलार्थी को निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादी सं० 01 व 03 माह की 10 तारीख के पूर्व 2500 रु 2500/ वादिनी को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित एवं उसके शान्तिपूर्वक अध्यासन में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान न उत्पन्न करें और न ही वादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जाये इसके साथ थानाध्यक्ष चक्रेरी को निर्देशित किया गया है कि यदि वादिनी के शान्ति पूर्व अध्यासन में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया जाता है, तो प्रतिवादी के विरुद्ध उ०प्र० भरण-पोषण कल्याण नियमावली 2014 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों प्रयोग करते हुये जाँचकर सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करे जिससे की वरिष्ठ नागरिक अपनी अर्जित की हुई सम्पत्ति का शान्ति पूर्वक उपभोग व संरक्षण कर सके।

इस प्रकार अवर न्यायालय उपजिलाधिकारी (सदर), कानपुर नगर द्वारा निर्णीत वाद सं० टी 202403410132043 बीना त्रिपाठी बनाम शिव प्रकाश त्रिपाठी में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुये प्रस्तुत अपील निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त एवं विवेचना एवं तथ्यों के आधार पर मुकुन्द त्रिपाठी उर्फ प्रवीण देव आदि पुत्र स्व प्रकाश नारायण त्रिपाठी निवासी 334 भाभा नगर थाना चकेरी कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा-16 माता-पिता एवम् वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम-2007 विधिक रूप से पोषणीय न पाते हुये निरस्त की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली अवर न्यायालय को प्रेषित हो। इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही निक्षेप अभिलेखागार हो।"

5. Both the aforesaid orders are impugned in this writ petition.

6. Learned counsel for the petitioners submitted that contesting respondent is their step mother. She is a practicing Advocate and normally residing at 34 Gayatri Nagar, Shaniganwa, P.S.Chakeri, District Kanpur Nagar along with her younger son on rent. She has sold the property of their father and got the sale consideration. She does not require any maintenance from petitioners since she is able to maintain herself in a dignified manner.

7. Learned counsel for the petitioners submitted that contesting respondent is influenced by her younger son and despite she is residing at aforesaid address and petitioners are residing at 334, Bhabha Nagar, P.S.Chakeri, District Kanpur Nagar, therefore, any allegation that petitioners are disturbing possession of their mother is not justified.

8. Learned counsel for the petitioners further submitted that petitioners are ready to give their mother one room for living at the above referred premises, which consists of 4 rooms as and when she visits the place and therefore, order of monthly maintenance be set-aside.

9. Learned counsel further submits that Rs.2500/- fixed on each petitioners is on a higher side since their monthly income is not so much however, after arguing for sometime, learned counsel for the petitioners on instructions submitted that in case this Court does not interfere with the impugned order, outstanding amount from the date of order i.e. 4.12.2024 till date (for 22 months) which is around 1.1 lakhs be permitted to be paid in easy monthly installments and they will undertake to pay amount fixed regularly w.e.f. 1.10.2026.

10. Court finds that aforesaid assurance is genuine. So far as merits of the case is concern, Court finds that only on a ground that contesting respondent is able to maintain herself, impugned order cannot be faulted with as the amount is not on a very higher side and there is no order of eviction, therefore, Court takes note of above referred undertaking and it is directed that petitioners will pay their liability fixed regularly w.e.f. 1.10.2026. So far as outstanding amount is concern, same shall be paid in 18 monthly installments which shall commence w.e.f. 1.11.2026.

11. The above nature of order does not require that notice be issued to contesting respondent as her right is protected.

12. With aforesaid observations/directions, this writ petition is disposed of.

(Saurabh Shyam Shamshery,J.)

August 13, 2026

SB